शहरा
निवासी

17 03/2021

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित।
पत्रावली में उपलब्ध दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट पर गमन किया गया जिसमें यह तथ्य स्पष्ट अंकित किया गया है कि ग्राम कुंआरखेड़ा के खाता सं. 108 में खसरा सं. 464 रकबा 1.08 हे० भूमि आजाद पिता गफूर मोहम्मद के नाम बगैर-खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी किन्तु मौके पर कब्जा नहीं होने से नवीन भू-प्रबन्ध में खाता निरस्त किया गया। गत खसरा सं. 463 पर प्रार्थी स्वयं का कब्जा सिद्ध करने में असफल रहा है।
वादी द्वारा खसरा सं. 463 में भूमि आवंटन का कोई आवंटन आदेश प्रस्तुत नहीं कर सका। वर्तमान ख०सं. 316 जो गत खसरा सं. 463 से बना है वर्तमान में बिलानाम दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी द्वारा बिलानाम भूमि को अन्य व्यक्ति मिट्ठुलाल पिता पन्नालाल को लीज पर देना बताया है जो विधि विरुद्ध है। गत खसरा सं. 463 प्रार्थी एवं उसके पिता नाम कभी भी दर्ज रेकार्ड नहीं रहा है जिससे खसरा सं. 463 में भूमि आवंटन होना सिद्ध नहीं होता है।
वर्तमान कब्जाशुदा भूमि के खसरा नम्बरों का मिलान सीट के अनुसार गत भू-प्रबन्ध के खसरा नम्बर से मिलान नहीं होना पाया गया।
तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट एवं वाद पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा का कथन उपयुक्त प्रतीत होता है अतः वादी का प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

SD.O.